25/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष-
उपस्थित पाए। वादीगण लिखित किया जाकर है।
लिखित निर्णय अलग से शामिल किया गया।
डिक्री जारी हो। नियम से दर्ज हो।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00133

न्याया... अहलम... हुक्म की... प्र. जारी...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–142/2017 (जी.सी.एम.एस. नं. 2017/00133) दायर दिनांकः–15.06.2017

–:: अनवान ::–

1. मोहनराम
2. बनवारीलाल

} पिसरान आशाराम जाति जाट निवासीयान श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र आशाराम
2. केसरा } पि. बालू
3. हीरा
4. बलदेव पुत्र हजारीराम

} अकवाम जाट निवासीयान श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5. तुलछी पुत्री बालू पत्नी गणपतराम जाति जाट निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. मनोहरी पुत्र बालू पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी 22 जी.बी. तहसील श्रीविजयगनर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
8. शाखा प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा–सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1. श्री लेखराज देरासरी वकील वादीगण

2. श्री निर्मल सिंह वकील प्रतिवादी सं. 6

3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :–25.05.2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद पत्र का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से है कि वकील वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 सगे भाई है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं के नाम से तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की माता उदीदेवी (मृतक) एवं बहिन कमा (मृतक) के नाम से रोही श्योनाथपुरा के संयुक्त खाता सं. 9/8 के खसरा सं. 64/8 की 3.440 हैक्टर, 64/9 में 1.315 हैक्टर, 67/1 में 5.439 हैक्टर, 67/3 में 6.578 हैक्टर व 122/64 में 1.329 हैक्टर कुल 18.101 हैक्टर बारानी भूमि में सें वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की मृतक बहिन कमा के नाम 9.051 हैक्टर ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 के नाम 0.472 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 3 के नाम 3.771 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 4 के नाम 3.299 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5–6 के नाम 1.508 हैक्टर ब.हि.ब. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार रोही श्योनाथपुरा के संयुक्त खाता सं. 10/7 के खसरा सं. 47 में 7.476 हैक्टर, 65 में 2.416 हैक्टर, 66 में 2.732 हैक्टर, 124/68 में 3.213 हैक्टर कुल 15.837 हैक्टर बारानी भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की मृतक माता उदीदेवी व मृतक बहिन कमा के नाम से 7.918 हैक्टर ब.हि.बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.495 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 3.960 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 4 के नाम 3.464 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दोनों खाता की कुल 16.969 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की माता व बहिन (अविवाहित) का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके हिस्सा की भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की तहत, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उनके जायज वारिस होने के कारण, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निहित हो चुके है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। इसलिये वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजुद सूचना उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 08.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या–6 की ओर वकील श्री निर्मल सिंह उपस्थित आये तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या–8 के विरूद्ध दिनांक 27.02.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई। जवाब स्टैट भी प्रस्तुत किया। प्रकरण में कोई विरोधाभासी जवाब दावा प्रस्तुत नही होने पर बिना तनकीयात कायम किये साक्ष्य वादी लिये गये। वादीगण ने उपस्थित होकर लिखित साक्ष्य में बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करने पर जिरह शून्य रही। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दावा को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 9/8 की कुल 18.101 हैक्टर बारानी भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तथा कमा पुत्री आशाराम के नाम से दर्ज एवं इसी रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता संख्या 10/7 की कुल 15.837 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तथा वादीगण की माता उदी व बहिन कमा से दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 की माता व बहिन कमा फौत हो चुके है। बहिन कमा अविवाहित फौत है। इसलिये वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 उनके जायज वारिसान है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की मृतक माता उदीदेवी एवं मृतक बहिन कमा के हिस्सा की भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तत्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्सा में आने वाली कुल भूमि 16.969 हैक्टर में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सानुसार खाता विभाजन किया जावे।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं के नाम से तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की माता उदीदेवी (मृतक) एवं बहिन कमा (मृतक) के नाम से रोही श्योनाथपुरा के संयुक्त खाता सं. 9/8 के खसरा सं. 64/8 की 3.440 हैक्टर, 64/9 में 1.315 हैक्टर, 67/1 में 5.439 हैक्टर, 67/3 में 6.578 हैक्टर व 122/64 में 1.329 हैक्टर कुल 18.101 हैक्टर बारानी भूमि में सें वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की मृतक बहिन कमा के नाम 9.051 हैक्टर ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 के नाम 0.472 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 3 के नाम 3.771 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 4 के नाम 3.299 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 5–6 के नाम 1.508 हैक्टर ब.हि.ब. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार रोही श्योनाथपुरा के संयुक्त खाता सं. 10/7 के खसरा सं. 47 में 7.476 हैक्टर, 65 में 2.416 हैक्टर, 66 में 2.732 हैक्टर, 124/68 में 3. 213 हैक्टर कुल 15.837 हैक्टर बारानी भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं तथा वादीगण व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 की मृतक माता उदीदेवी व मृतक बहिन कमा के नाम से 7.918 हैक्टर ब.हि.बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.495 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 3.960 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 4 के नाम 3.464 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दोनों खाता की कुल 16.969 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादीगण अपनी माता उदी व बहिन कमा के नाम अंकित हिस्सा की घोषणा करवाना चाहते। वाद पत्र के साथ माता उदी व बहिन कमा का मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रति नोटेरी से तस्दीकशुदा है प्रस्तुत की है। वादीगण मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रस्तुत कर उन पर प्रदर्श अंकित नही करवाये है। इसलिये उक्त दस्तावेज पढ़े जाने योग्य नही है। मात्र चित्रप्रति प्रस्तुत करने से उन्हे सही माना जाना उचित नही है। इसलिये वाद वादीगण दस्तावेजों के अभाव में साबित नही होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. मोहनराम } पिसरान आशाराम जाति जाट निवासीयान श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़
2. बनवारीलाल } जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र आशाराम } अकवाम जाट निवासीयान श्योनाथपुरा
2. केसरा } पि. बालू } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. हीरा }
4. बलदेव पुत्र हजारीराम }
5. तुलछी पुत्री बालू पत्नी गणपतराम जाति जाट निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. मनोहरी पुत्र बालू पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी 22 जी.बी. तहसील श्रीविजयगनर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
8. शाखा प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा–सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 142 वर्ष 2017 (GCMS No. 2017/00133) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री लेखराज देरासरी एवं वकील प्रतिवादी सं. 6 श्री निर्मल सिंह व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

''वाद वादीगण निरस्त किया जाता है।''

नोज......x......मुबलिग......x......बाबत......x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......x......फस्दों की पालना......x......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/05/2026 को जारी की गई।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)